

1- Indian Overseas Bank, Asset Recovery Management Branch, 4<sup>th</sup> Floor, Rachna Building, Rajendra Place Delhi-110008  
Through AUTHORISED OFFICER

प्रार्थी

बनाम

1. M/s A.I. Metals Pvt. Ltd. Having its Registered Office At B-5/206, Safdarjung Enclave, New Delhi-110064  
ALSO AT :  
W-17, Mayapuri, Phase-II, New Delhi-110064  
ALSO AT :  
F-624, Phase-I, Ricco Industrial Area, Bhiwadi District. Alwar Rajasthan 301019  
ALSO AT :  
Sp-812/h 51b, Samtel Zone, Industrial Area, Bhiwadi Alwar Rajasthan.  
Represented By its Directors,  
a) Abhijeet Singh Having Residence At Plot No.8, Zila Singh Farm, T Park Lane, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi  
b) Vibhor Bhargava Having Residence At B-5/206, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029
2. M/s Capri International Through Proprietor Abhijeet Singh At W-16, Phase II, Mayapuri, New Delhi-110064
3. M/s Allied Filaments Pvt. Ltd. Plot No. G-1/680 Phase II, RIICO Industrial Area, Tijara, Bhiwadi, Alwar Rajasthan-301019

अप्रार्थीगण / ऋणी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति (A) EM on Freehold Industrial Plot No. W-16, Industrial Area, Phase-II, Mayapuri, New Delhi, In The Name Of Abhijeet Singh Admeasuring 208.34 Square Yards.

जिला कलक्टर  
अलवर (राज०)

(B) EM on Freehold Industrial Plot No. SP-812/H1-51(B), Samtal Zone Industrial Area Bhiwadi District-Alwar(Rajasthan), in the name of A.I Metals Pvt. Ltd. Admeasuring 624.00 Square Meters. (C) EM on Industrial Plot No. F-624, RIICO Industrial Area Phase-I, Bhiwadi District Alwar (Rajasthan) in the name of M/s Capri International Through Proprietor Abhijeet Singh Admeasuring 1981 Square Meteres. (D) EM on Industrial Plot No. W-42 Phase-II Mayapuri Industrial Area, New Delhi, in the name of M/s Tirath Singh And Sons Through Proprietor Narender Pal Sing Admeasuring 125.415 Square Meters. (E) EM on Industrial Plot No. F-256, RIICO Industrial Area Chopanki, Bhiwadi District Alwar Rajasthan in the name of M/s Allied Filaments .I. Metals Pvt. Ltd. Admeasuring 2320 Square Meters. (F) Hypothecation of plant and machinery installed at plot no. F-624, RIICO Industrial Area Phase-I, Bhiwadi District Alwar Rajasthan. को रहन रखा गया था। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :-

- 1-रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
- 2.-आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार तिजारा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी (अलवर) को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25-02-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(इन्द्रजीत सिंह)  
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर  
अलवर (राज.)